(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 10 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 45

बउनवान

1. रमेशचंद पुत्र श्री रामचंद जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. रामप्रसाद पुत्र श्री रामचंद जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
3. भोजराज पुत्र श्री रामचंद जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. नंदकिशोर पुत्र श्री आनंदीलाल जाति मीणा निवासी बंबोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. जोधराज पुत्र श्री आनंदीलाल जाति मीणा निवासी बंबोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
3. नरेन्द्र पुत्र श्री भागचंद मीणा निवासी बंबोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
4. कालीबाई पुत्री श्री भागचंद मीणा निवासी बंबोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट, 1955 प्रकरण संख्या 17 / 2024 मे पारित निर्णय दिनांक 05.03.2025 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– श्री राजेन्द्र कुमार सुमन अभिभाषक (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 04.07.2025

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 17 / 2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान नंदकिशोर वगैराह बनाम रमेशचंद्र वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 05.03.2025 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 13.05.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्टगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया था जिसे दिनांक 05[illegible] को निर्णित कर आदेश दिया गया कि वाके ग्राम डडवाडा की आराजी खाता संख्या [illegible] खसरा नं0 120 रकबा 2.11 हैक्टर पर से अपीलांटगण को बेदखल कर लगान का [illegible] 266 / – रू. शास्ति से दंडित किया है। अपीलांट क्रम 1 व 2 के [illegible] क्रम 1 व 2 के पिता [illegible] के मध्य दिनांक 13.05.1999 को अदला बदली का इकरारनामा [illegible]ष्पादित हुआ था जो 100 [illegible] रूप्ये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प व साधा कागज पर आलेखित करवाकर अपने हस्ताक्षर कर गवाही गवाहान करवाया था जिसमें अंकित किया है कि आराजीयात वाके ग्राम डडवाडा तहसील अटरू की खाता संख्या 40 के खसरा नं. 120 रकबा 2.11 हैक्टर भूमि जो रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज है तथा ग्राम बंबोरी तहसील अटरू की आराजी खसरा संख्या 468 की रकबा 1.85 हैक्टर है जो अपीलांटगण के खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें अपीलांटगण के पिता रामचंद्र ने रेस्पोडेन्टगण के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:28 IST
Reason: SelfAttested

आनंदीलाल व भागचंद से लगभग 25 वर्ष पूर्व आराजी की अदला बदली करने बाबत राजीनामा कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। मुताबिक राजीनामा उक्त आराजी खसरा नं. 120 रकबा 2.11 हैक्टर पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अपीलांटगण के पिता ने रेस्पोडेन्टगण के पिता से अदला बदली की गई आराजी को अपने–अपने नाम खाते दर्ज करवाने का निवेदन किया, परंतु रेस्पोडेन्टगण के पिता टालमटोल करते रहे और बाद में उनकी मृत्यु हो जाने से आराजी खाते दर्ज नहीं होने से रेस्पोडेन्टगण के मन में बेईमानी आ गई। प्रकरण में अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व न्यायालय उप जिला कलक्टर, अटरू में एक दावा प्रकरण संख्या 180/2016 अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 का दिनांक 04.08.2016 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें पृथक से स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 54/2016 अन्तर्गत धारा 12 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त स्थगन प्रार्थना मे दोनो पक्षो को सुना जाकर मैरिट पर आदेश दिनांक 21.06.2017 से स्थगन आदेश जारी किया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 9 को ता फैसला वाद अस्थाई निषेध आज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि खाता संख्या 85 का खसरा नं. 120 का रकबा 2.11 है. व खसरा नं. 335/511 का रकबा 0.34 है. आराजी को कहीं रहन बेचान नहीं करें। वर्तमान रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थी को आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न हीं अपने प्रतिनिधियों से करावें। जिसकी अपील रेस्पोडेन्टगण द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां करने पर उक्त अपील को उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 193/2017 पर दिनांक 06.11.2017 को दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्णय दिनांक 12.02.2019 से अपील खारिज की गई। इसके पश्चात् उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा मूल दावा संख्या 180/2016 अदम हाजरी पैरवी में दिनांक 07.03.2022 को खारिज कर दिया गया। उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु लवर कोर्ट मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो खारिज होने पर उक्त आदेश की अपील अपीलांटगण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में किए जाने पर प्रस्तुत अपील को उनके द्वारा प्रकरण संख्या/निगरानी/टीए/3964/2023/बारां पर दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्णय दिनांक 08.01.2023 से अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07. 03.2022 खारिज किया गया और प्रकरण मे आदेशित किया गया कि अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी रूपये 1000/– कोस्ट पर ग्राह्यता के स्तर पर स्वीकार की जाकर निगराधीन आदेश निरस्त किया गया। प्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का वाद रेस्टोर किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वे वाद में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही करे। प्रार्थीगण को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2023 को उपस्थित रहने के लिए आदेशित किया गया। इस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू मे उक्त प्रकरण पुनः प्रकरण संख्या 106/2023 पर दिनांक 03.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया। जो वर्तमान मे विचाराधीन है, जिसमे आगामी नियत पेशी दिनांक 14.08.2025 नियत है। इस प्रकार उक्त दिनांक से वर्तमान में प्रकरण न्यायालय उपखंड अधिकारी, अटरू में विचाराधीन है। फिर भी रेस्पोडेन्टगण द्वारा दिनांक 21.08.2024 को अंतर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत न्यायालय तहसीलदार अटरू में वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए मनगढंत आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से खारिज होने योग्य है। उक्त तथ्य पर गौर नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित निर्णय कानून खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

दोनों पक्षकारान जाति से मीणा है व आदिवासी जनजाति की परिभाषा में आते है तथा रेस्पोडेन्टगण को अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 17/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान नंदकिशोर वगैराह बनाम रमेशचंद्र वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 05.03.2025 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि आराजी खाता संख्या 40 का खसरा नं. 120 रकबा 2.11 हैक्टर के आसपास अपीलांटगण के खाते की आराजी खसरा नं. 600/121, खसरा नं0 599/121, खसरा नं0 121 स्थित है। अपीलांटगण ने रेस्पोडेन्टगण के खाते की आराजी को खसरा नं. 120 रकबा 2.11 है. को वर्ष 2022–23 में हांकजोत कर फसल की बुआई कर दी जिस पर रेस्पोडेन्टगण ने अपीलांटगण को कब्जा छोडने का निवेदन किया लेकिन अपीलांटगण ने आराजी पर से कब्जा छोडने से साफ मना कर दिया और साथ हीं जमीन पर आने पर जान से मारने की धमकी दी तथा कहा कि तुम्हें जो करना हो, कर लेना। बिना न्यायालय की सहायता के अपीलांटगण को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नहीं है। यदि अपीलांटगण अपने गैर कानूनी कृत्य में सफल रहे और रेस्पोडेन्टगण की आराजी पर जबरन कब्जा बनाये रखा तो रेस्पोडेन्टगण को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी से वंचित होना पडेगा जिससे रेस्पोडेन्टगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य किसी भी प्रकार से होना संभव नही है तथा अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पडेगा। सहखातेदार गीताबाई द्वारा अपने हिस्से की आराजी को सहखातेदार रेस्पो. क्रम 01 को बेचान कर दी है जिसके बेचान का नामांतकरण प्रक्रियाधीन है तथा सहखातेदार शोदराबाई की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान जमाबंदी में दर्ज है, इसलिये गीताबाई व शोदराबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 05.03.2025 जारी किया गया, उस समय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू का स्थगन आदेश था यह कहना गलत है। चूकिं न्यायालय उप जिला कलक्टर, अटरू में दावा प्रकरण संख्या 180/2016 अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 अदम हाजरी पैरवी में दिनांक 07.03.2022 को खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र स्वतः ही खारिज हो चुका है। न्यायालय उपजिला कलक्टर, अटरू में दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण की तलबी स्तर पर हीं विचाराधीन है। रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(ख) की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दावा विचाराधीन रहते हुए 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा निर्णय दिनांक 05.03.2025 में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांटगण के पिता एवं रेस्पोडेन्ट क्र. 01 व 02 के पिता आनंदीलाल के मध्य 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दिनांक 13.05.1999 को एक इकरारनामा लिखा गया कि वाके ग्राम डडवाडा तहसील अटरू की खाता संख्या 40 के खसरा नं. 120 रकबा 2.11 है. भूमि जो रेस्पोडेन्टगण के खाते दर्ज है तथा ग्राम बंबोरी तहसील अटरू की आराजी खसरा संख्या 468 की रकबा 1.85 हैक्टर है जो अपीलांटगण के खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें अपीलांटगण के पिता रामचंद्र ने रेस्पोडेन्टगण के पिता आनंदीलाल व भागचंद से लगभग 25 वर्ष पूर्व आराजी की अदला बदली करने बाबत राजीनामा कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। अपीलांटगण के पिता ने रेस्पोडेन्टगण के पिता से अदला बदली की गई आराजी को अपने–अपने नाम खाते दर्ज करवाने का निवेदन किया, परंतु रेस्पोडेन्टगण के पिता टालमटोल करते रहे और बाद में [illegible] हो जाने से आराजी खाते दर्ज नहीं होने से रेस्पोडेन्टगण के मन में बेईमानी आ [illegible] यों को छिपाते हुए मनगढंत आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो [illegible] के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार [illegible] अंतर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत दिनांक 05.03.2025 को निर्णय पारित किया गया है। उस समय न्यायालय उपखंड अधिकारी, अटरू का स्थगन आदेश नहीं था। तहसील[illegible] अटरू द्वारा पारित निर्णय सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनने एवं समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू में रेस्पोडेन्टगण द्वारा वास्तविक तथ्यों को जैसे कि इकरारनामे के जरिये उनके पूर्वजों द्वारा भूमि को अदला–बदली करना एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में विचाराधीन दावा आदि को छिपाते हुए प्रस्तुत किया गया है। इस पर तहसीलदार अटरू द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 17/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान नंदकिशोर वगैराह बनाम रमेशचंद्र वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 05.03.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, अटरू को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार, अटरू को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का गहनता से अध्ययन किया जावे कि इस प्रकार इकरारनामे के जरिये भूमि को अदला–बदली करने वाले प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में दावा अंतर्गत धारा 88,89,91,188 के तहत पक्षकारों के मध्य विचाराधीन रहने के उपरांत भी अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के तहत जो प्रार्थना पत्र आपके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उस पर धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू होते है या नहीं। प्रकरण में पुनः सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक **04.07.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:45:28 IST
Reason: SelfAttested